न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश विश्नोई–I, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 03/2020

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
1. भगवानदास पुत्र शंकरलाल निवासी महावीर नगर, बाड़मेर (मैसर्स रोहित बेकरी, रीको एरिया, बाड़मेर का मैनेजर)
2. कौशल्या देवी पत्नि लक्ष्मणदास जाति सिन्धी निवासी सिन्धी कॉलोनी पाली मारवाड़ (मैसर्स रोहित बेकरी, रीको एरिया, बाड़मेर की खाद्य अनुज्ञा पत्र धारक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री प्रेम प्रजापत, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 16.09.2020

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स रोहित बेकरी रीको एरिया बाड़मेर जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक **07.05.2018** को [illegible] के साथ–साथ **ब्रेड ब्रान्ड मनीषा–जी (270 ग्राम)** एक कार्टून में रखी पाई गई [illegible] मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल चार [illegible] **ब्रेड ब्रान्ड म[illegible]–जी (270 ग्राम)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी–905 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:31 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **ब्रेड ब्रान्ड मनीषा–जी (270 ग्राम)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **ब्रेड ब्रान्ड मनीषा–जी (270 ग्राम)** का नमूना **मिथ्या–छाप (Mis-branded)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण फर्म मैसर्स रोहित बेकरी नाम से बेकरी आइटम का व्यवसाय करते हैं तथा **ब्रेड ब्रान्ड मनीषा–जी (270 ग्राम)** नाम से ब्रेड उत्पादन करते हैं। अप्रार्थीगण की फर्म से उक्त खाद्य पदार्थ के लिये गये नमूने में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गयी तथा न ही मानव स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक होना पाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **ब्रेड ब्रान्ड मनीषा–जी (270 ग्राम)** के पैकिंग लेबल निर्धारित मान अनुरूप दुरूस्त कर दिया गया है तथा वक्त निरीक्षण पाई गयी कमी के जुर्म को लोक अदालत की भावना से स्वीकार करते हैं तथा भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं की जावेगी इसलिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध नरम रूख अख्तियार करते हुये कम से कम जुर्माना अधिरोपित किया जावें।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थो से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट [illegible] उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) विनि[illegible] 20[illegible] के अनुच्छेद 2.2.2.2(c), 2.2.2(3), 2.2.2(4), 2.2.2(5), 2.2.2[illegible] 2.2.2(10) मे[illegible]त प्रावधानों के अनुरूप नहीं होना पाया गया है। इस पर [illegible] होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया । अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षण के रूप मे जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:31 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

प्रस्तुत किया गया हैं कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा के निर्धारित सम्पूर्ण मानकों पर गुणवतापूर्ण पाया गया है किन्तु पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियमों के उल्लंघन की त्रुटि का सुधार अब कर लिया गया है एवं भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं की जावेगी। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करते हुए नरम रूख अपनाये जाने का निवेदन किया है। यद्यपि अप्रार्थीगण की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना असुरक्षित अथवा अवमानक नहीं पाया गया है किन्तु खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जुर्म स्वीकारोक्ति एवं खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रूपये 25,000/– अक्षरे रूपये पचीस हजार का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 16.09.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई–I)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:31 IST
Reason: SelfAttested